an>

Title: Need to ensure admission of children belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Groups in private unaided schools as per laid down norms and standards of Right to Education Act, 2009 in all the States particularly in Uttar Pradeh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः नःशुल्क व बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के सेक्शन 12(1)(सी) के अनुसार गैर सहायता प्राप्त (प्राइवेट) मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कम से कम सीट क्षमता की 25 प्रतिशत सीमा तक आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) व अलाभित वर्ग (डिसएडवांटेज ग्रुप) के बच्चों को कक्षा एक/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश देने का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) के आंकड़ों के अनुसार देशभर में प्राइवेट स्कूलों में इस सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 21.1 लाख सीटों में से केवल 6.1 लाख (लगभग 29 प्रतिशत) सीटें भरी गयीं जिनमें से लगभग आधी (3.2 लाख) सीटों पर केवल राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों में प्रवेश हुआ। उत्तर प्रदेश में तो इस सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 5.84 लाख सीटों में से मात्र 3.62 प्रतिशत यानि सिर्फ 21,186 सीटों पर ही प्रवेश हो पाया है। परिणामस्वरूप स्थिति यह है कि कानून के पारित होने के 6 वर्षों के बाद भी बहुत बड़ा वर्ग अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसके क्रियान्वयन में आ रहे सभी अवरोधों का पता लगाने व निर्धारित समय-सीमा में इसका लाभ जरूरतमंद लोगों तक सुनिश्चित करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाये व तत्पश्चात् राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार निर्देश दिए जायें।